

24.06.2017 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित न्यायालय में आयोजित विशेष कैंम्प में ली गई उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनता है। और सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में है। अप्रार्थीगण भूमि का रहन बैय व अन्य तरिके से बेचान कर देता है, तो उसे ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः पूर्व में दिनांक 13.05.2016 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावे। अप्रार्थीगण के सुयोग्य अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण का प्रथमदृष्ट्या प्रकरण नहीं बनता है। और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ना ही प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये पूर्व में जारी अस्थाई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करतें हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमनें दोनों पक्षों की समायत बहस पर मनन किया गया एवम् प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में बनता है। और भूमि पर कब्जा होने से सुविधा सन्तुलन उसके पक्ष में है। अगर भूमि का बेचान कर दिया जाता है, तो दोनों पक्षों में मुकद्मे बाजी बढनें की सम्भावना रहती है इससे अपूर्णीय क्षति भी कारित होती है। अतः चक 18 एफ बड़ा के खाता संख्या 41/2 में मुरब्बा नम्बर 23 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.653 हैक्टर रकबा में से 1/5 हिस्सा तक भूमि को रहन बैय या मुन्तकिल करनें बाज ममनु रहे तथा रिकार्ड एवम् मौका की यथा स्थित हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.05.2016 को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई (Confirm) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसला शुमार होकर बाद तकमील मूल वाद 78/2016 के संलग्न की जावे।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

A/3